59

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2012–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–5–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण कमांक 468/अपील/10–11.

1– सईद अहमद पुत्र अहमद अली
2– हनीफ पुत्र अहमद अली
3– नफीस पुत्र अहमद अली
निवासीगण वार्ड नं. 2 नगर रायसेन
तहसील व जिला रायसेन
4– मोहम्मद शरीफ पुत्र शेख बुधू
उर्फ सादिक मो. (मृतक) द्वारा वारिसान–
ए– मो. शाहिद पुत्र स्व. मोहम्मद शरीफ
बी– मो. माजिद जिद पुत्र स्व. मोहम्मद शरीफ
सी– मो. जावेद पुत्र स्व. मोहम्मद शरीफ
डी– मो. इरशाद पुत्र स्व. मोहम्मद शरीफ
ई– मो. निसार पुत्र स्व. मोहम्मद शरीफ
एफ– मो. अंसार पुत्र स्व. मोहम्मद शरीफ
जी. कु. अर्शी पुत्री स्व. मोहम्मद शरीफ
एच– श्रीमती आयशा बी पत्नी स्व. मोहम्मद शरीफ
निवासीगण वार्ड नं. 10,
पुराना बस स्टेण्ड के सामने रायसेन
तहसील व जिला रायसेन ....आवेदकगण

विरूद्ध

मोहम्मद अरशद अव्यस्क द्वारा
प्राकृतिक संरक्षक पिता मो. खलील
आत्मज मो. अयाज
निवासी वार्ड नं. 2 नगर रायसेन
तहसील व जिला रायसेन ....अनावेदक

श्री मोहन ठाकुर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, रायसेन के समक्ष दिनांक 17–6–2009 को हुए सीमांकन के आधार पर कब्जा वापिसी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार, रायसेन द्वारा प्रकरण कमांक 5/अ–70/09–10 दर्ज कर दिनांक 6–12–10 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, रायसेन के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20–5–2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रकरण कमांक 36/अ–12/07–08 का सही परिशीलन कर गुण–दोषों के आधार पर संहिता की धारा 250 में निहित प्रावधानों के अनुरूप आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–5–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में की गई सीमांकन की कार्यवाही को चुनौती देने का अवसर आवेदकगण को प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आवेदकगण द्वारा सीमांकन आदेश की नकल लेने पर सीमांकन प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया गया है, अतः सीमांकन के अभाव में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं कर आवेदन पत्र निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, किन्तु तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) जब सीमांकन प्रकरण दर्ज ही नहीं हुआ है, तब अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सीमांकन प्रकरण का अवलोकन कर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अभिलेख से परे कार्यवाही की गई है, और इस ओर अपर आयुक्त द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

(3) जब सीमांकन प्रकरण दर्ज हीं नहीं है, तब किसी पक्षकार को अनुचित लाभ देने के लिए प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है । इस प्रकरण में यह अति आवश्यक है कि उभय पक्ष की उपस्थिति में पुनः सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये जायें ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, और सीमांकन प्रकरण भी मौजूद है तथा अनावेदगण को आदेश की सत्यप्रतिलिपि भी प्राप्त हुई है, अतः निश्चित रूप से प्रकरण दर्ज हुआ है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में सीमांकन की वैधता पर विचार नहीं किया जा सकता है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 250 की कार्यवाही नहीं होने देने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेशों में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश के पालन में पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है, जिसमें अनावेदक की प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक पक्ष का अवैध कब्जा पाया गया है । जहां तक सीमांकन प्रकरण कमांक 36/अ–12/07–08 का प्रश्न है, यदि उक्त प्रकरण दर्ज नहीं हुआ था, तब अनावेदक को उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि कैसे प्राप्त होती । इस प्रकार दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा अभिलेख के आधार पर सीमांकन प्रकरण दर्ज होना मान्य कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य हैं । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया

गया है, जहां उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, जहां वे अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–5–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर